उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-720/2021/4334/41-2021-36(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर, 2021
संख्या-569/2021/2970/41-2021-36(बजट)/2021, दिनांक 09.11.2021

का शुद्धि पत्र

उप निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4590/मु0प0सं0यो0(01)/2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद एटा के वि0स0क्षे0 जलेसर में स्थित पटना पक्षी विहार के पर्यटन विकास कार्य की योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-569/2021/2970/41-2021-36(बजट)/2021, दिनांक 09.11.2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में त्रुटिवस सम्बन्धित कोषाधिकारी अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित होना चाहिए था।

2. अत: एतद्वारा शासनादेश संख्या-569/2021/2970/41-2021-36(बजट)/2021, दिनांक 09.11.2021 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित सम्बन्धित कोषाधिकारी के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **कलेक्ट्रेट कोषागार**, **लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 09.11.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, एटा।
5- **मुख्य कोषाधिकारी**, **कलेक्ट्रेट कोषागार**, **लखनऊ** ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा।
9- क्षेत्रीय वन अधिकारी, पटना पक्षी विहार, एटा ।
10- उप निदेशक, आगरा/अलीगढ़ मण्डल।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।